न्यायालय चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।
वाद स0 1348/2026
जमानत प्रार्थना पत्र सं0–373/2026
राज्य बनाम अजहर त्यागी

मु0अ0सं0 75/2025
अन्तर्गत धारा–115(2),351(2),352
बी0एन0एस0
थाना–प्रेमनगर, देहरादून।

दिनांक 06.04.2026

अभियुक्त अजहर त्यागी पुत्र श्री अब्दुल रब, निवासी प्रधान पट्टी बरला मुजफ्फर नगर उत्तर प्रदेश, मु0अ0स0–75/2025, अन्तर्गतधारा–115(2),351(2),352 बी0एन0एस0 थाना–प्रेमनगर देहरादून के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता के0पी0सिंह द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त ने कोई भी तथाकथित अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा दायर किया है। अभियुक्त उक्त पते का स्थायी निवासी है। दौराने वाद अभियुक्त की ओर से जमानत की याचना की गई है।

3. जमानत प्रार्थना–पत्र पर विद्वान अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामलें में अभियुक्त पर वादी मुकदमा के साथ मारपीट कर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है। आरोपपत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऐसी स्थिति में गुणदोष पर राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अजहर त्यागी की धारा–115(2),351(2),352 बी0एन0एस0 के अभियोग में जमानत स्वीकार की जाती है। अभियुक्त द्वारा मु0 20,000/– रूपये (बीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति जिला कारागार, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

(रमेश चन्द्र)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून